न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 117/2022
जीसीएमएस : 2022/409

1. गुरमीत सिंह पुत्र रूप सिंह जाति बाजीगर निवासी 14 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थीग

बनाम

1. रूप सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति बाजीगर निवासी 14 एसजेएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री जितेन्द्र सोनी, वकील प्रार्थी
2. श्री सोहन वर्मा, अप्रार्थी सं. 1

–: **निर्णय** :–

दिनांक : 08.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थी वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता रूप सिंह के नाम से चक 2 बीडब्ल्यूएम का मु.नं. 25 का 2.480है. यानि 10 बीघा नहरी रकबा खातेदार हैं। जिस पर प्रार्थी का पिता व उसके जायज वारिसान का पूर्ण रूप से कब्जा चला आ रहा हैं उक्त रकबे में पिता द्वारा घरेलू बंटवारनामे के साथ प्रार्थी को 1/6 हिस्सा दिया गया हैं। जिस पर प्रार्थी का पुराना कब्जा चला आ रहा हैं। प्रार्थी का पिता पोस्त खाने का आदी हैं। और नशे में रहता हैं। पिता के द्वारा पूर्व में चक 17एपीडी का मु.नं. 38 की भूमि दिनांक 01.12.2010 एव चक 15 एसजेएम का मु.नं. 282/385 कुल 3.162है. नहरी भूमि दिनांक 28.02.2019 को बेचान कर दी हैं। लोगों के बहकावे में आकर मेरे हिस्से की जमीन का बेचान किया जा रहा हैं। यदि ऐसा किया जाता हैं तो प्रार्थी जमीन से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति का मूल्यांकन ना आंका जावेगा। जब अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को उक्त जमीन का बेचाननामा बाबत कहा तो प्रार्थी ने कहा कि मेरे हिस्से में आई जमीन पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिसको मैने उपजाउ एवं अच्छी तरह से तैयार की हैं उसको बेचान किया जाता हैं तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस पर दिनांक 10.07.2022 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमी दी कि जमीन को बेचान कर जमीन के कब्जे से बेदख कर अन्य को जमीन दी जावेगी। प्रार्थी का उक्त भूमि के खातेदार पिता के जरिये हक एवं अधिकार बनता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का सिद्ध हैं, मौका पर फसल काश्त की हुई है इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया कि विवादित भूमि में प्रार्थी के 1/6 हिस्सा पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से अप्रार्थी बाज व ममनू रहे तथा रकबा किसी प्रकार से रहन आदि ना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित रकबा अप्रार्थी रूप सिंह को हासिल होकर अप्रार्थी के कब्जे काश्त में शुरू से चला आ रहा हैं और मौका पर अप्रार्थी की ही फसल बीजी हुई है अप्रार्थी ने ही विवादित रकबा को भारी शारीरिक मेहनत व खर्चा लगाकर समतल कर सिंचई सुविधा को संवारा हैं। जिससे अच्छी पैदावार होने लगी हैं और अप्रार्थी की आजीविका व अपने जिम्मे पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आय का साधन व स्त्रोत हैं। प्रार्थी या अप्रार्थी के अन्य वारिसान का कब्जा काश्त न तो कभी विवादित भूमि पर रहा हैं न ही वर्तमान में हैं। प्रार्थी द्वारा अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया हैं। कभी कथित घरेलू बंटवारा नहीं हुआ हैं। अप्रार्थी नशा नहीं करता हैं। ना ही नशे की पूर्ति के लिए कभी उल्लेखित भूमि का बेचान

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

किया हैं। विवादित रकबा अप्रार्थी का स्वअर्जित रकबा होकर अप्रार्थी एकल रूप से काबिज हैं। प्रार्थी को विवादित रकबा के संबंध में वांछित अनुतोष नहीं दिया जा सकता हैं अन्यथा अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गैरइंसाफी होगी, अपूर्णीय क्षति होगी। दिनांक 10.07.2022 को या कभी भी इस संबंध में न तो प्रार्थी अप्रार्थी से मिला ना ही अप्रार्थी ने कोई धमकी दी। प्रार्थी कानूनन वाद लाने का ही विधिक अधिकार नहीं रखता। प्रार्थी न तो खातेदार हैं न ही अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधिक अधिकारी हैं। न ही वर्तमान में काबिज हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में तहसील अनूपगढ़ की भूमि का बेचान किया जा चुका हैं। नशे का आदी हैं। प्रार्थी के हिस्सा को अप्रार्थी बेचान कर अन्य को हंस्तातंरित कर देगा। प्रार्थी को घरेलू बंटवारा में 1/6 हिस्सा दिया हुआ है जिस पर प्रार्थी काबिज हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी मूल वाद के निर्णय तक पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा और अपूर्णीय क्षति होगी। अप्रार्थी भूमि का एकल खातेदार काबिज काश्त हैं, प्रार्थी का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में काबिज हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अप्रार्थी के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा भूमि में घरेलू बंटवारा अनुसार अपने 1/6 हिस्सा की भूमि की घोषणा एवं निषेधाज्ञा बाबत आवेदन किया हैं। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के घरेलू बंटवारानामा एवं प्रार्थी के भूमि में कब्जा काश्त को अस्वीकार किया हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित भूमि स्वअर्जित भूमि होना अंकित किया हैं परन्तु कोई दस्तावेज साक्ष्य इस बाबत पेश नहीं किया हैं। भूमि में प्रार्थी का हिस्सा निहित हैं या नहीं का निश्चय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर किया जाना हैं। विवादित भूमि अप्रार्थी के नाम से दर्ज हैं यदि भूमि का अन्य को हंस्तातरण कर दिया जाता हैं तो मुकदमेबाजी बढ़ने की संभावना हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निर्णय तक विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत बनाई रखी जावे।

—:: आदेश ::—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.07.2022 को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gurjan Singh
Date: 2023.03.22 11:41:24 IST
Reason: SelfAttested

(गुरजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर